

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-633

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत संस्वीकृत कार्य

633. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत संस्वीकृत कार्यों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी हैं;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए आबंटित, जारी और व्यय की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत अभी भी बड़ी संख्या में कार्य पूरे किये जाने शेष हैं, और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और देश भर के गांवों के विद्युतीकरण सहित विद्युत प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। तत्कालीन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत समाहित किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत कार्य पूरे हो चुके हैं और यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद कर दी गई है।

परियोजना के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवंटित, जारी तथा खर्च की गई निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत और उसके बाद प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत, सभी राज्यों ने पहले ही क्रमशः दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को सभी गांवों और दिनांक 31 मार्च, 2019 को सभी इच्छुक घरों के विद्युतीकरण की घोषणा की।

यद्यपि, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था, तथापि सौभाग्य के तत्वावधान में कुल 2.86 करोड़ घरों, जिसमें दो चरणों में अतिरिक्त घर, जो पहले विद्युतीकरण के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में इच्छुक हो गए थे, का विद्युतीकरण किया गया था।

यद्यपि नए घरों का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे घरों के विद्युतीकरण का ध्यान वितरण यूटिलिटीयों द्वारा रखा जाना अपेक्षित है। भारत सरकार सभी घरों, जो मौजूद थे, जब सौभाग्य को संस्वीकृत किया गया था, का विद्युतीकरण करने के लिए राज्यों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, भारत सरकार ने हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत उनके विद्युतीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे विद्युत मंत्रालय के समक्ष अपनी डीपीआर प्रस्तुत करें।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 633 के भाग (क) और (ख) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

डीडीयूजीजेवाई (नई+ अतिरिक्त अवसंरचना)

वर्ष 2014-15 (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) से निर्मित राज्य-वार वित्तीय एवं वास्तविक सृजित अवसंरचना

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय (करोड़ रुपये में)			वास्तविक सृजित अवसंरचना																			
		संस्वीकृत लागत	समापन लागत	संवितरित अनुदान	एस/एस-नए (सं.)		एस/एस-संवर्धन (सं.)		डीटीआर (सं.)		एनटी लाइनें (सीकेएम)		एचटी लाइनें (सीकेएम)		33/66 केबी (सीकेएम)		फीडर पृथक्करण (सीकेएम)		उपभोक्ता मीटर (सं.)		डीटीआर मीटर (सं.)		फीडर मीटर (सं.)	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अंडमान एवं निकोबार	21	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	941	919	553	204	204	0	0	18869	18869	8055	8055	4714	4714	1341	1341	0	0	15779	15779	3618	3618	342	342
3	अरुणाचल प्रदेश	783	588	421	5	5	0	0	1928	1928	3030	3030	2494	2494	197	197	0	0	95522	95522	1623	1623	377	377
4	असम	4747	4040	2355	22	22	13	13	21932	21932	40081	40081	15941	15941	332	332	0	0	0	0	17118	17118	257	257
5	बिहार	7301	7925	4148	288	288	9	9	82432	82432	73782	73782	21140	21140	4199	4199	16735	16735	2534576	2534576	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	1710	1486	899	80	80	82	82	12164	12164	13372	13372	7258	7258	1055	1055	4714	4714	52819	52819	837	837	3390	3390
7	दादरा एवं नगर हवेली	5	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	350	350	0	0
8	गोवा	20	22	12	0	0	0	0	21	21	56	56	13	13	0	0	0	0	94187	94187	0	0	0	0
9	गुजरात	925	925	556	15	15	28	28	18533	18533	22070	22070	10767	10767	91	91	0	0	1656252	1656252	57624	57624	0	0
10	हरियाणा	346	281	161	14	14	19	19	2761	2761	1970	1970	1299	1299	133	133	184	184	83723	83723	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	168	183	126	14	14	16	16	315	315	1452	1452	312	312	22	22	10	10	122825	122825	381	381	15	15
12	जम्मू एवं कश्मीर	1885	936	658	20	20	13	13	7209	7209	21825	21825	4292	4292	184	184	139	139	0	0	280	280	0	0
13	झारखंड	4901	4607	2592	109	109	96	96	56480	56480	47430	47430	14938	14938	1364	1364	5577	5577	348541	348541	0	0	1017	1017
14	कर्नाटक	1882	1997	1107	4	4	3	3	13215	13215	9000	9000	10763	10763	44	44	11783	11783	2088412	2088412	23790	23790	0	0
15	केरल	485	493	292	2	2	6	6	598	598	3473	3473	1255	1255	32	32	0	0	2063687	2063687	23436	23436	97	97
16	लद्दाख	151	86	47	1	1	0	0	144	144	432	432	543	543	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	4153	3604	2129	145	145	314	314	41592	41592	50069	50069	27876	27876	1432	1432	7055	7055	436082	436082	0	0	242	242
18	महाराष्ट्र	2544	2273	1258	210	210	150	150	11979	11979	13213	13213	4644	4644	2378	2378	8865	8865	0	0	0	0	0	0
19	मणिपुर	303	213	103	0	0	0	0	937	937	1664	1664	793	793	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
20	मेघालय	685	668	450	9	9	2	2	1825	1825	9134	9134	1515	1515	101	101	0	0	0	0	999	999	179	179
21	मिजोरम	84	74	63	0	0	4	4	368	368	399	399	422	422	7	7	0	0	19133	19133	0	0	232	232
22	नागालैंड	200	183	85	6	6	0	0	475	475	719	719	659	659	60	60	0	0	0	0	697	697	191	191
23	ओडिशा	2281	1775	1052	12	12	164	164	14228	14228	11417	11417	5599	5599	1547	1547	1240	1240	2271702	2271702	0	0	902	902
24	पुद्दुचेरी	20	19	11	0	0	0	0	28	28	8	8	38	38	0	0	0	0	75609	75609	1250	1250	0	0
25	पंजाब	443	367	218	0	0	0	0	7912	7912	246	246	3268	3268	0	0	2032	2032	189656	189656	0	0	0	0
26	राजस्थान	5059	3967	2176	231	231	85	85	127534	127534	78652	78652	28819	28819	2784	2784	6396	6396	8125	8125	0	0	1476	1476
27	सिक्किम	87	105	72	0	0	0	0	373	373	924	924	380	380	0	0	0	0	45969	45969	0	0	65	65
28	तमिलनाडु	924	979	556	106	106	128	128	1189	1189	1174	1174	1538	1538	1514	1514	797	797	1195856	1195856	0	0	0	0
29	तेलंगाना	462	551	278	86	86	0	0	9162	9162	8164	8164	1582	1582	313	313	0	0	0	0	0	0	1435	1435
30	त्रिपुरा	433	290	247	4	4	0	0	1262	1262	2589	2589	1770	1770	40	40	0	0	161728	161728	0	0	0	0
31	उत्तर प्रदेश	13778	10860	6432	265	265	1091	1091	148339	148339	83590	83590	28507	28507	4381	4381	36337	36337	2095542	2095542	83316	83316	1832	1832
32	उत्तराखंड	845	682	614	1	1	0	0	3818	3818	5935	5935	1796	1796	0	0	1429	1429	20882	20882	0	0	0	0
33	पश्चिम बंगाल	4262	4100	2394	80	80	133	133	23003	23003	40401	40401	4918	4918	1613	1613	9424	9424	2977996	2977996	17159	17159	2757	2757
कुल जोड़		62836	55222	32074	1933	1933	2356	2356	630625	630625	554327	554327	209874	209874	25180	25180	112717	112717	18794103	18794103	232478	232478	14806	14806

(स्रोत: आरईसी)

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-634

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2023 को दिया जाना है ।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को  
राजसहायता-प्राप्त दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने की नीति

634. श्री पी. विल्सन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने देश भर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बिजली की दर पर राजसहायता देने अथवा उसमें छूट देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने देश भर में बिजली की जगह उसके नवीकरणीय विकल्पों के उपयोग के लिए कोई नीति बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए टैरिफ विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें उपभोक्ताओं के किसी भी वर्ग को, वे जिस सीमा तक उपयुक्त समझते हैं, वितरण कंपनी को सब्सिडी का अग्रिम भुगतान करते हुए, सब्सिडी दे सकती हैं। अतः, विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, बीपीएल परिवारों सहित किसी उपभोक्ता को सब्सिडीकृत दरों पर विद्युत प्रदान करना संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है।

(ख) और (ग) : नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न पहलें निम्नानुसार हैं:

- (i) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए दीर्घकालिक दृश्यता और निश्चितता के लिए, दिनांक 01.07.2025 से शुरू की गई परियोजनाओं के लिए छूट को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए, इस मंत्रालय के दिनांक

- 23.11.2021 के आदेश में दिए गए प्रावधान के साथ, दिनांक 30 जून, 2025 तक प्रारंभ होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर तथा पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों में छूट देना।
- (ii) वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) ट्रेजेक्टरी की घोषणा करना।
  - (iii) बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विकासकर्ताओं को भूमि तथा पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना।
  - (iv) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप फेज-II, 12000 मेगावाट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) स्कीम फेज-II, आदि जैसी स्कीमों में।
  - (v) नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना।
  - (vi) जून, 2022 में, हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन की अधिसूचना जारी करना।
  - (vii) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी विद्युत की बिक्री के सुगमीकरण के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) और ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम) का शुभारंभ।
  - (viii) विद्युत मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा के साथ बंडलिंग के माध्यम से थर्मल/हाइड्रो स्टेशनों के उत्पादन और समय-सीमा निर्धारण में लचीलापन लाने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की है जिससे थर्मल/हाइड्रो विद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ बदलने में सहायता मिलेगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-635

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्र में संसाधनों और कोयले की कमी

635. डॉ. सी.एम. रमेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कार्यशील पूंजी और कोयले की कमी के कारण विभिन्न राज्यों में अनेक विद्युत संयंत्र कार्यशील नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन प्रभावित होता है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार का ऐसे संयंत्रों को ऋण देने का विचार है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन शुरू कर सकें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जेनकोज़, कोयला आपूर्तिकर्ता कंपनियों से कोयले की खरीद करती हैं और उसी के लिए भुगतान करती हैं। विद्युत मंत्रालय, कोयला तथा रेल मंत्रालय के समन्वय से विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति की निगरानी करता है। विद्युत संयंत्रों के पास दिनांक 31.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार 31.5 मी. टन का कोयला स्टॉक है।

सरकार ने वितरण कंपनियों द्वारा जेनकोज़ की देयराशियों का समय पर भुगतान करने के लिए विलंबित भुगतान अधिभार तथा संबंधित मामले (एलपीएस) अधिसूचित किया है। इसके परिणामस्वरूप, जेनकोज़ की पिछली देयराशियों में कमी हुई है और वर्तमान देयराशियों का समय पर भुगतान हुआ है। जेनकोज़, एमओपी द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त मितव्ययी मानदंडों के कार्यक्षेत्र में कार्यशील पूंजी के लिए बैंकों और एनबीएफसीज़ से ऋण ले सकते हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-636

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

देश के दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत लाइनें

**636. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित गांवों में विद्युत लाइन पहुंचाने के लिए कोई विशेष योजना चलाई जा रही है;
- (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश के कितने दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत लाइनें पहुंचाई गई हैं;
- (ग) वर्तमान में देश के कितने गांवों में विद्युत लाइनें नहीं हैं;
- (घ) इन गांवों में कब तक विद्युत लाइनें पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है; और
- (ङ) उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में अभी तक विद्युत लाइनें नहीं पहुंचाई गई हैं और उक्त गांवों में कब तक विद्युत लाइनें पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**

**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** भारत सरकार ने वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। इस कार्य में नए सब-स्टेशनों की स्थापना, कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण; 8,50,000 सीकेटी एचटी एवं एलटी लाइनें जोड़ते हुए पुराने सब-स्टेशनों का संवर्धन; ट्रांसफार्मरों को जोड़ना और देश भर के गांवों का विद्युतीकरण सम्मिलित है। ऐसे गांवों का, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी न तो व्यवहार्य थी और न ही लागत प्रभावी थी, ऑफ-ग्रिड पद्धतियों के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया था। जैसाकि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश भर के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांव दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत किए गए थे। इस स्कीम के अंतर्गत, ऑफ-ग्रिड के माध्यम से 2762 गांवों सहित कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई है। गांवों के विद्युतीकरण के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

**(ग) से (च) :** राज्यों, उत्तर प्रदेश सहित, ने दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को पूरे देश के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों के विद्युतीकरण की घोषणा कर दी थी। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 100% गांवों का विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया था।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 636 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीडीयूजेजवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या		
		ग्रिड	ऑफ-ग्रिड	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	928	555	1483
2	असम	2338	394	2732
3	बिहार	2699	207	2906
4	छत्तीसगढ़	605	473	1078
5	हिमाचल प्रदेश	28	-	28
6	जम्मू और कश्मीर	75	54	129
7	झारखंड	2335	248	2583
8	कर्नाटक	12	27	39
9	मध्य प्रदेश	389	33	422
10	महाराष्ट्र	37	43	80
11	मणिपुर	267	99	366
12	मेघालय	969	82	1051
13	मिजोरम	54	-	54
14	नागालैंड	78	-	78
15	ओडिशा	2882	399	3281
16	राजस्थान	334	93	427
17	त्रिपुरा	26	-	26
18	उत्तर प्रदेश	1467	31	1498
19	उत्तराखंड	67	24	91
20	पश्चिम बंगाल	22	-	22
	<b>कुल</b>	<b>15612</b>	<b>2762</b>	<b>18374</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-637

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

देश में विभिन्न स्रोतों से बिजली का उत्पादन

**637. श्रीमती जुगलसिंह लोखंडवाला:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत में वर्तमान में विभिन्न स्रोतों से कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है और बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी है तथा विगत पांच वर्षों में बिजली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;
- (ख) पीक लोड के समय बिजली की निरंतर मांग को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजना है और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और
- (ग) वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास आदि के माध्यम से कितने प्रतिशत बिजली का उत्पादन हो रहा है और इसे और अधिक बढ़ाने हेतु क्या योजना और लक्ष्य हैं?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**

**(श्री आर.के. सिंह)**

(क) : वर्तमान वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान विभिन्न स्रोतों से भारत में उत्पादित विद्युत के साथ-साथ विद्युत उत्पादन कार्यक्रम और पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन में दर्ज वृद्धि के ब्यौरे अनुबंध-1 पर दिए गए हैं।

(ख) : भारतीय विद्युत प्रणाली पहले ही जून, 2022 में 211.6 गीगावाट की रिकॉर्ड विद्युत मांग को पूरा किया। वर्तमान वर्ष 2023 के दौरान, गर्मियों के दौरान विद्युत की मांग लगभग 225 गीगावाट रहने की उम्मीद है। विद्युत की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- वर्ष 2014 से दिनांक 31.12.2022 तक हमारे ग्रिड में 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता, 173459 सीकेटी किलोमीटर पारेषण लाइनें और 621176 एमवीए परिवर्तन क्षमता जोड़ी गई है।
- डीडीयूजीजेवाई/सौभाग्य/आईपीडीएस के अंतर्गत 2.02 लाख करोड़ रुपये की लागत से वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है - जिसक अंतर्गत वर्ष 2014 से दिनांक 31.12.2022 तक 2927 नए सबस्टेशन जोड़े गए, 3964 सबस्टेशनों को अपग्रेड किया गया और 8.48 लाख सीकेटी किमी एचटी/एलटी लाइनें आदि जोड़ी गईं।
- विद्युत उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), पारेषण, वितरण और व्यापार संबंधी परियोजनाओं के लिए स्वचालित पद्धति के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति है।
- उत्पादन के साथ-साथ पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 28.01.2016 को विभिन्न प्रावधानों सहित संशोधित टैरिफ नीति संबंधी अधिसूचना जारी करना।
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेशों को आकर्षित करने के लिए, दिनांक 30.06.2025 तक प्रारंभ होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर तथा पवन स्रोतों से उत्पादित विद्युत के पारेषण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों से छूट प्रदान की गई है।



इसके अतिरिक्त, नई जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण संबंधी आईएसटीएस प्रभारों को, उनके प्रारंभ होने की तारीख से 18 वर्ष के लिए छूट प्रदान की गई।

- vi. हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 06.06.22 को हरित खुली पहुँच नियम, 2022 अधिसूचित किये गये हैं।
- vii. बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई।
- viii. भारत सरकार ने देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटीएंडसी) को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक और औसत आपूर्ति लागत-औसत वसूलयोग्य राजस्व (एसीएस-एआरआर) अंतर को शून्य तक कम करना है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहयोग (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है
- ix. उत्पादन क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं। उत्पादक उच्च मांग की अवधि से पहले अपने संयंत्रों के रखरखाव का कार्य पूरा करेंगे। उच्च मांग अवधि (अप्रैल से मई, 2023 तक) के दौरान कोई नियोजित रखरखाव नहीं किया जाएगा।
- x. कोयले के यथासंभव उत्पादन और प्रेषण में वृद्धि के लिए नियमित आधार पर कोयला और रेल मंत्रालय के साथ निगरानी और समन्वय।
- xi. सभी उत्पादकों को सम्मिश्रण प्रयोजनों के लिए कोयले के समय पर आयात के लिए कहा गया है ताकि संयंत्र में कोयले का पर्याप्त भंडार बना रहे।
- xii. घरेलू कोयला कंपनियों (सीआईएल और एससीसीएल) से कोयले की आपूर्ति को पूरा करने के लिए सभी कैप्टिव कोयला ब्लॉकों को अधिकतम कोयला उत्पादन करने के लिए कहा गया है।
- xiii. उच्च विद्युत मांग वाले महीनों के दौरान, गेल द्वारा, गैस आधारित स्टेशनों को चलाने के लिए गैस की अतिरिक्त व्यवस्था की आयोजना बनाई गई है।
- xiv. विद्युत संशोधन नियम, 2022 को दिनांक 29 दिसंबर 2022 को अधिसूचित किए गए हैं, जो संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार करने का अधिदेश देते हैं ताकि उपभोक्ताओं की विद्युत की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

इन उपायों ने वर्तमान स्थिति में योगदान दिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता औसतन 22½ घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23½ घंटे हो गई है।

(ग) : चालू वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार-भाटा संबंधी ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास आदि से उत्पादित होने वाली विद्युत की प्रतिशतता **अनुबंध-II** में दी गई है।

वर्ष 2023-23 और वर्ष 2023-24 के लिए बड़ी जल विद्युत एवं भूतान से आयात सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 342667 एमयू एवं 379000.70 एमयू हैं।

सरकार अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, अपतटीय, पवन, तटवर्ती पवन, बायोमास, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आदि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कार्यान्वयनाधीन नवीकरणीय क्षमता (बड़ी जल विद्युत को छोड़कर) 61.98 गीगावाट है और निविदा के अंतर्गत 36.44 गीगावाट है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 637 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

भारत में वर्तमान वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक) में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित विद्युत के साथ-साथ विगत पाँच वर्षों में विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम तथा विद्युत उत्पादन में दर्ज वृद्धि का विवरण

श्रेणी	ईंधन	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		उत्पादन (एमयू)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	उत्पादन (एमयू)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	उत्पादन (एमयू)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	उत्पादन (एमयू)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
तापीय	कोयला	951754.51	4.57	987681.83	3.77	961218.23	-2.68	950937.55	-1.07
	लिंगनाईट	34836.14	0.32	34583.50	-0.73	32978.76	-4.64	30505.68	-7.50
	प्राकृतिक गैस	50154.78	2.22	49832.89	-0.64	48442.64	-2.79	50842.59	4.95
	नाप्या	52.96	100.7	0.86	-98.38		-100.0	101.41	-
	डीजल	260.71	-5.30	124.80	-52.13	108.23	-13.28	126.31	16.71
	हाई स्पीड डीजल	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	<b>तापीय कुल</b>	<b>1037059.10</b>	<b>4.31</b>	<b>1072223.88</b>	<b>3.39</b>	<b>1042747.86</b>	<b>-2.75</b>	<b>1032513.54</b>	<b>-0.98</b>
	न्युक्लियर कुल	38346.12	1.13	37812.59	-1.39	46472.45	22.90	43029.08	-7.41
	बड़ी जल विद्युत	126122.70	3.06	134893.61	6.95	155769.12	15.48	150299.52	-3.51
	भूटान (आयात)	4778.33	-14.94	4406.62	-7.78	5794.48	31.49	8765.50	51.27
	कुल (तापीय, न्युक्लियर, बड़ी जल विद्युत तथा आयात "क")	1206306.25	3.98	1249336.70	3.57	1250783.91	0.12	1234607.64	-1.29
	नवीकरणीय (बड़ी जल विद्युत के अलावा) "ख"	101839.48	24.88	126759.09	24.47	138337.02	9.13	147247.51	6.44
	<b>कुल जोड़ (क+ख) "ग"</b>	<b>1308145.73</b>	<b>5.35</b>	<b>1376095.79</b>	<b>5.19</b>	<b>1389120.93</b>	<b>0.95</b>	<b>1381855.15</b>	<b>-0.52</b>
	कुल नवीकरणीय (बड़ी जल विद्युत तथा भूटान से आयात सहित) "घ"	232740.51	11.07	266059.32	14.32	299900.62	12.72	306312.53	2.14
	कुल जोड़ की तुलना में कुल नवीकरणीय का % (ग/घ का %)	17.79		19.33		21.59		22.17	

श्रेणी	ईंधन	2021-22		2022-23		2022-23	2023-24
		उत्पादन (एमयू)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	उत्पादन (एमयू)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	उत्पादन (एमयू)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
तापीय	कोयला	1041487.43	9.52	846570.89	11.39	1179367.00	1255000.00
	लिंगनाईट	37094.04	21.60	26998.82	-1.46	35956.00	37000.00
	प्राकृतिक गैस	36015.77	-29.16	18384.22	-37.13	41914.00	32000.00
	नाप्या	0.00	-100.00	0.83		0.00	0.00
	डीजल	117.24	-7.18	134.90	80.23	151.00	110.00
	हाई स्पीड डीजल	0.00	-	0.00			
	<b>तापीय कुल</b>	<b>1114714.48</b>	<b>7.96</b>	<b>892089.66</b>	<b>9.23</b>	<b>1257388.00</b>	<b>1324110.00</b>
	न्युक्लियर कुल	47112.06	9.49	33920.02	-2.63	43324.00	46190.00
	बड़ी जल विद्युत	151627.33	0.88	137903.61	9.35	150661.00	156700.00
	भूटान (आयात)	7493.20	-14.51	6653.20	-8.25	8000.00	8000.00
	कुल (तापीय, न्युक्लियर, बड़ी जल विद्युत तथा आयात "क")	1320947.07	6.99	1070566.49	8.69	1459373.00	1535000.00
	नवीकरणीय (बड़ी जल विद्युत के अलावा) "ख"	170912.3	16.07	153052.71	18.85	184000.00	215000.00
	<b>कुल जोड़ (क+ख) "ग"</b>	<b>1491859.37</b>	<b>7.96</b>	<b>1223619.20</b>	<b>9.87</b>	<b>1643373.00</b>	<b>1750000.00</b>
	कुल नवीकरणीय (बड़ी जल विद्युत तथा भूटान से आयात सहित) "घ"	330032.83	7.74	297609.52	9.87		
	कुल जोड़ की तुलना में कुल नवीकरणीय का % (ग/घ का %)	22.12		24.32			

**टिप्पणी:**

- केवल 25 मेगावाट और उससे अधिक के स्रोतों (तापीय, न्युक्लियर और बड़ी जल विद्युत) स्टेशनों से सकल उत्पादन।
- नवीकरणीय स्रोतों (पवन, सौर, बायोमास, खोई, लघु जल विद्युत तथा अन्य) से सकल उत्पादन।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

राज्य सभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 637 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्तमान वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार-भाटा संबंधी ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास आदि से उत्पादित होने वाली विद्युत का प्रतिशत

सभी आंकड़े एमयू में

स्रोत	2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक)	कुल का %
पवन	59532.36	20.0
सौर	72924.49	24.5
बायोमास	2251.72	0.8
खोई	7054.61	2.4
लघु जल विद्युत	9392.75	3.2
बड़ी जल विद्युत	137903.61	46.3
भूटान से आयात	6653.20	2.2
अन्य	1896.79	0.6
कुल	<b>297609.53</b>	<b>100.0</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-638

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

बकाया राशि का भुगतान

638. श्री विनय दीनू तेंदुलकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन सी राज्य सरकारें विद्युत क्षेत्र की बकाया राशि का समय पर भुगतान कर रही है, यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बकाया राशि का समय पर भुगतान नहीं किए जाने के लिए उपभोक्ताओं राज्यों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी विभागों की बकाया देयराशियों और सब्सिडी संबंधी प्राप्तियों के वर्ष-वार ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : भारत सरकार द्वारा शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्वनिर्धारित मापदंड के भाग के रूप में, यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी सरकारी विभागों/संबद्ध कार्यालयों/स्थानीय निकायों/स्वायत्त निकायों/बोर्डों/निगमों ने मूल्यांकनाधीन वर्ष के लिए वर्तमान विद्युत देयराशियों का 100% भुगतान कर दिया है। सब्सिडी संबंधी देयराशियों के समय पर भुगतान करने के संबंध में, राज्य सरकार को पिछले वर्ष के लिए 100% सब्सिडी का भुगतान और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुरूप वर्तमान अवधि तक सब्सिडी का अग्रिम भुगतान सुनिश्चित करना है और परियोजना अवधि की समाप्ति तक शेष सब्सिडी राशि को समाप्त करना होगा। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए डिस्कॉमों के मूल्यांकन हेतु परिणाम मूल्यांकन फ्रेमवर्क के अंतर्गत सरकारी विभागों के विद्युत बिलों की देयराशियों के साथ-साथ पुरानी सब्सिडी संबंधी देयराशियों के कारण बकाया राशियों के परिसमापन के लिए

ट्रेजेक्ट्रियां निर्धारित की गई हैं। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान जारी करना डिस्कॉम द्वारा पूर्व निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करता है।

इस स्कीम का उद्देश्य आपातकालीन सार्वजनिक सेवाओं जैसे-अस्पताल, जलकल और स्ट्रीट लाइटिंग को छोड़कर, सभी सरकारी कार्यालयों के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग का कार्यान्वयन करना भी है। यह संभावना है कि इससे डिस्कॉमों को यूएलबीज़/आरएलबीज़ की देयराशियों सहित सभी सरकारी विभागों की विद्युत संबंधी देयराशियों का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने, राज्य डिस्कॉमों/ट्रांस्कोज़/जेनकोज को कार्यशील पूंजीगत ऋण मंजूर करने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें यह प्रावधान किया गया है कि डिस्कॉमों और अन्य राज्य स्वामित्व वाली यूटिलिटीयों को दिए गए ऋण निर्धारित शर्तों के निमित्त उनके निष्पादन पर निर्भर होंगे। अन्य शर्तों के साथ-साथ, विवेकसम्मत मानदंडों में राज्य सरकारों द्वारा समय पर सब्सिडी जारी करना और सरकारी विभाग के बकाया विद्युत बिलों का भुगतान करना शामिल है। विद्युत मंत्रालय ने अन्य सभी वित्तीय संस्थानों/बैंकों को डिस्कॉमों/ट्रांस्कोज़/जेनकोज को कार्यशील पूंजीगत ऋण देने के लिए संशोधित अतिरिक्त विवेकसम्मत मानदंडों को अपनाने और लागू करने के लिए भी कहा है।

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) ने राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के अतिरिक्त ऋण संबंधी अंतर की अनुमति देने के लिए जून, 2021 में एक कार्यक्रम शुरू किया, जो विद्युत क्षेत्र में विशेष सुधारों को करते रहने और उनके द्वारा दी गई वचनबद्धता की शर्त पर होगा। प्रवेश स्तर संबंधी शर्तों में बकाया सब्सिडी देयराशियों का समय पर भुगतान और वर्तमान सब्सिडी का भुगतान शामिल है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि डिस्कॉमों द्वारा ली गई अतिरिक्त उधारी मूल्यांकित और न्यायसंगत है। जीएसडीपी के 0.25% से 0.50% तक की अतिरिक्त उधारी लेने की अनुमति उनके निष्पादन मूल्यांकन मानदंड के निमित्त उनके स्कोर के आधार पर दी जाएगी, जिसमें सरकारी विभाग/कार्यालयों/स्थानीय निकायों द्वारा विद्युत बिलों का समय पर भुगतान शामिल है, यदि वे सभी प्रवेश स्तर संबंधी शर्तों को पूरा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, 12 राज्यों (आंध्र प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, मेघालय, ओडिशा, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश) के प्रस्तावों को जीएसडीपी के 0.5% तक का अतिरिक्त उधार लेने का अनुमोदन दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

राज्यसभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 638 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संचयी बकाया दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी विभाग की देयराशियां (करोड़ रुपये)	संचयी बकाया दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी विभाग की देयराशियां (करोड़ रुपये)	संचयी बकाया दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी विभाग की देयराशियां (करोड़ रुपये)
1	आंध्र प्रदेश	7064.5	8735.9	9116.0
2	अरुणाचल प्रदेश	48.0	0.0	0.0
3	असम	153.3	106.2	21.0
4	बिहार	1276.0	452.5	704.4
5	छत्तीसगढ़	610.0	1159.8	1101.6
6	गोवा	81.0	125.3	201.0
7	गुजरात	423.0	644.0	358.0
8	हरियाणा	452.7	154.3	134.2
9	हिमाचल प्रदेश	154.0	183.1	86.0
10	जम्मू एवं कश्मीर	4580.6	4882.0	9933.1
11	झारखंड	723.4	79.8	320.1
12	कर्नाटक	4677.3	4301.1	6600.3
13	केरल	1790.4	878.4	1278.4
14	लद्दाख	0.0	0.0	62.5
15	मध्य प्रदेश	1062.7	140.0	813.2
16	महाराष्ट्र	6350.0	8496.0	9131.0
17	मणिपुर	120.0	67.4	70.6
18	मेघालय	51.2	53.3	0.0
19	मिजोरम	25.7	0.0	0.0
20	नागालैंड	0.0	0.0	0.0
21	ओडिशा	478.8	306.7	384.8
22	पंजाब	2250.0	1750.0	2612.0
23	राजस्थान	1390.5	2031.0	1791.2
24	सिक्किम	41.6	0.0	0.0
25	तमिलनाडु	1476.0	2702.3	3677.0
26	तेलंगाना	9320.0	10003.3	11935.0
27	त्रिपुरा	37.1	9.5	40.9
28	उत्तर प्रदेश	13294.0	115.0	4491.6
29	उत्तराखंड	1122.4	0.0	814.0
30	पश्चिम बंगाल	515.0	1287.8	954.0
31	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	3.2	0.0	0.0
33	पुदुचेरी	443.8	0.0	0.0
34	अंडमान एवं निकोबार	0.0	0.0	0.0
35	चंडीगढ़	4.1	0.0	0.0
36	दिल्ली	152.4	0.0	0.0
	<b>कुल</b>	<b>60172.70</b>	<b>48664.49</b>	<b>66631.68</b>

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

राज्यसभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 638 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संचयी बकाया 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी (करोड़ रुपये)	संचयी बकाया 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी (करोड़ रुपये)	संचयी बकाया 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी (करोड़ रुपये)
1	आंध्र प्रदेश	6179.2	5139.6	3178.3
2	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0
3	असम	0.0	14.7	0.0
4	बिहार	0.0	0.0	0.0
5	छत्तीसगढ़	2256.7	2504.5	2698.7
6	गोवा	0.0		0.0
7	गुजरात	7517.0	5163.0	3445.0
8	हरियाणा	0.0	0.0	0.0
9	हिमाचल प्रदेश	110.0	53.1	89.0
10	जम्मू एवं कश्मीर	300.0	1500.0	0.0
11	झारखंड	3641.0	600.0	0.0
12	कर्नाटक	8107.0	5473.6	3525.9
13	केरल	0.0	0.0	0.0
14	लद्दाख	0.0	0.0	0.0
15	मध्य प्रदेश	6583.8	12573.1	16240.2
16	महाराष्ट्र	1368.0	9101.0	3399.0
17	मणिपुर	0.0	0.0	0.0
18	मेघालय	1318.9	0.0	38.4
19	मिजोरम		0.0	0.0
20	नागालैंड	0.0	0.0	0.0
21	ओडिशा	0.0	0.0	0.0
22	पंजाब	5578.0	1239.0	9020.0
23	राजस्थान	13672.4	17961.5	15596.5
24	सिक्किम	23.6	0.0	0.0
25	तमिलनाडु	0.0	0.0	0.0
26	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0
27	त्रिपुरा	153.6	157.3	166.3
28	उत्तर प्रदेश	0.0	2992.7	18940.0
29	उत्तराखंड	0.0	0.0	0.0
30	पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	0.0
31	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.0	0.0	0.0
33	पुद्दुचेरी	18.1	0.0	0.0
34	अंडमान एवं निकोबार	0.0	0.0	0.0
35	चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0
36	दिल्ली	727.6	0.0	0.0
	<b>कुल</b>	<b>57554.8</b>	<b>64473.00</b>	<b>76337.33</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-639

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

भारत में गैर-विद्युतीकृत गांव

639. डॉ. अमी याज्ञिक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी बनासकांठा (गुजरात) के राघानेसडा गांव, कूपगढ़, अशोकनगर (मध्य प्रदेश) के खिरिया भरका गांव आदि जैसे अनेक गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो ऐसे गैर-विद्युतीकृत गांवों का राज्य-वार ब्यारा क्या है और इनका विद्युतीकरण न किए जाने का कारण क्या है और विद्युतीकरण की समय-सीमा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने दूरस्थ गांवों और जनजातीय क्षेत्रों में निगरानी करने और उनका शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और देश भर के गांवों के विद्युतीकरण सहित वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। तत्कालीन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत समाहित किया गया था। जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांव दिनांक 28 अप्रैल 2018 तक विद्युतीकृत हो गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई है।

जैसा कि गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, बनासकांठा, गुजरात का जनगणना गांव राघानेसदा और अशोक नगर, मध्य प्रदेश के जनगणना गांवों कूपगढ़, खिरिया भरका विद्युतीकृत हो गए हैं।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-640

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

आयात में कमी

640. श्री प्रमोद तिवारी:

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि कोयला मंत्रालय ने आयात को घटाकर शून्य करने की घोषणा की है जबकि विद्युत मंत्रालय ने आयात को अनिवार्य बना दिया है;
- (ख) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने घरेलू कोयले की कमी, जिसके कारण शुष्क ईंधन के आयात की आवश्यकता बढ़ गई है, से निपटने के लिए उसमें 10% आयातित कोयले को मिलाने का निर्देश पारित किया है;
- (घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैश्विक बाजार में कोयले की कीमत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा अधिसूचित कोयले के मूल्यों से पांच गुना तक बढ़ गई है; और
- (ङ) यदि हां, तो आयात पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : उच्च सकल कैलोरीकृत मान (जीसीवी) नॉन-कोकिंग कोयले के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्र और सीमेंट, स्पंज आयरन, एल्युमीनियम संबंधी उपभोक्ता उच्च श्रेणी के कम राख वाले कोयले का उपयोग कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की ऐसी श्रेणी के लिए कोयले की आवश्यकता को घरेलू कोयले से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। अतः, कोयले का आयात शून्य नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2009 के बाद से ब्लैंडिंग प्रयोजन के लिए कोयले का आयात कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से जनवरी, 2023 तक) के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने विद्युत क्षेत्र को, लगभग 10% की वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 440.05 एमटी कोयले की तुलना में 485.99 मिलियन टन (एमटी) (अनंतिम) कोयला प्रेषित किया। तथापि, विद्युत की मांग में वृद्धि होने से, विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि, घरेलू कोयले की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। घरेलू कोयला खपत तथा घरेलू कोयले की दैनिक प्राप्ति के मध्य अंतर सितंबर तथा दिसंबर, 2022 माह के बीच 2.65 लाख टन से 0.5 लाख टन तक है। यदि ब्लैंडिंग के लिए आयात नहीं किया जाता, तो ताप विद्युत संयंत्रों में सितंबर, 2022 में कोयले का स्टॉक शून्य तक घट गया होता। अतः, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.01.2023 को केंद्रीय, राज्य जेनकोस और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को ब्लैंडिंग के लिए पारदर्शी प्रतिस्पर्धी खरीद के माध्यम से कोयले का आयात करने की सलाह दी ताकि सितंबर, 2023 तक उनके विद्युत संयंत्रों के सुचारु प्रचालनों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयले का भंडारण हो सके।

(घ) और (ङ) : कैलोरीकृत मान में भिन्नता के कारण आयातित कोयले की कीमत घरेलू कोयले की कीमत के साथ तुलनीय नहीं है। आयातित कोयले का मूल्य निर्धारण आयातित कोयले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों, उत्पत्ति के स्रोत तथा अन्य कारकों जैसे समुद्री भाड़ा, बीमा आदि से जुड़ा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय मांग आपूर्ति परिदृश्य से भिन्न होता है। प्रत्येक उत्पादन कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आयातित कोयले का आयात करती है।

\*\*\*\*\*